न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी बामनवास

पीठासीन अधिकारी: नरेन्द्र कुमार मीना आर.ए.एस.

अपील संख्या
02/2024

तारीख रजू
11.03.2024

तारीख फैसला
23/1/2025

1. संजय गोद पुत्र चंपा लाल पुत्र श्योनाथ, उम्र 21 साल, जाति मीना, निवासी बिन्जारी, तहसील बामनवास, हाल तहसील बरनाला, जिला गंगापुर सिटी

–अपीलार्थी

बनाम

1. ममता देवी पत्नी रामस्वरूप, उम्र 36 साल, जाति मीना, निवासी रतनपुरा, तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)
2. कुमारी सुमन पुत्री स्व. चंपा लाल नाबालिग जरिये संरक्षक ताऊ श्योनाथ पुत्र लहरी, जाति मीना, निवासी बिन्जारी, तहसील बामनवास, हाल तहसील बरनाला, जिला गंगापुर सिटी,
3. कल्याणी पत्नी लहरी, जाति मीना, निवासी बिन्जारी, तहसील बामनवास, हाल तहसील बरनाला, जिला गंगापुर सिटी
4. ग्राम पंचायत बिन्जारी, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बिन्जारी
5. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास, हाल तहसील बरनाला

–प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता– श्री रामसिंह मीणा,
प्रत्यर्थीगण संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता– श्री विजय सिंह गुर्जर
प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 3 लगायत 5 की ओर से– कोई उपस्थित नहीं

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 285
दिनांक 05.12.2009 ग्राम पंचायत बिन्जारी

निर्णय

दिनांक: 23/1/2025

इस निर्णय द्वारा निस्तारित की जा रही अपील में अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि कि उसके पिता चंपा लाल के कोई पुत्र संतान नहीं थी और उनके निधन के बाद ममता देवी विधवा चंपालाल ने मीना समाज के रीति रिवाजों के अनुसार अपीलार्थी को गोद ले लिया, तभी से अपीलार्थी स्व. चंपालाल की छोड़ी गई चल व अचल संपत्ति पर काबिज है तथा उसी के घर पर निवास कर रहा है। चंपा लाल के निधन के कुछ समय बाद ही ममता देवी ने रामस्वरूप पुत्र रामकुमार, जाति मीना, निवासी रतनपुरा, तहसील बौंली के साथ नाता विवाह कर लिया। नाता विवाह करने के बाद ममता का उसके पूर्व पति चंपा लाल की चल व अचल संपत्ति से कोई वास्ता नहीं रहता है, लेकिन ममता ने गलत रूप से सरपंच, ग्राम पंचायत बिन्जारी से मिलकर स्वयं के नाता विवाह करने के तथ्य को छिपाते हुए

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

विरासत का नामान्तकरण संख्या 285 दिनांक 5.12.2009 को अपने व अपनी नाबालिग पुत्री सुमन के नाम से तस्दीक करवा लिया, जबकि ममता को चंपा लाल की चल व अचल संपत्ति से नाता विवाह कर लेने के बाद कोई सम्बन्ध नहीं रहता है।

यह कि अपीलार्थी को निर्णय ग्राम पंचायत, बिन्जारी की नामान्तकरण संख्या 285 की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा कराने से व नामान्तकरण की नकल देने से दिनांक 7.2.2024 को होने पर अपील अंदर मियाद पेश की गई है। ममता ने नाता विवाह कर लिया है, श्योनाथ चंपा लाल का भाई है तथा सुमन स्व. चंपा लाल की नाबालिग पुत्री है, इसलिए श्योनाथ के जरिये संरक्षक सुमन को अपील में पक्षकार बनाया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 285 दिनांक 5.12.2009 ग्राम पंचायत बिन्जारी निरस्त किया जाकर पुनः निर्णीत करने हेतु ग्राम पंचायत बिन्जारी को भिजवाए जाने बाबत निवेदन किया गया।

उक्त अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को अपील के नोटिस जारी किए गए, जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थीगण संख्या 2 की ओर से श्री विजय सिंह गुर्जर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अन्य प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 01.07.2024 को प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 5 के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/रीडर/2024/688 दिनांक 01.07.2024 द्वारा तहसीलदार बामनवास को लिखा जाकर अपील के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार बरनाला ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अभि0/2024/1264 दिनांक 24.09.2024 को अपने पत्र के सार्थ पटवारी हल्का बिंजारी तहसील बामनवास की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.09.2024 तैयार कर भिजवाई गई कि मृतक चंपा पुत्र लहरी मीणा निवासी बिंजारी के वारिसान की जांच हेतु ग्राम बिंजारी पहुंचा। मौके पर मौतबिरानों ने बताया कि चंपा पुत्र लहरी मीणा की मृत्यु हो चुकी है। मृतक चंपा के एक पुत्री व एक पत्नी है। जिनका नाम क्रमशः सुमन पुत्री चंपालाल तथा ममता पत्नी चंपालाल है। उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि ये दोनों सुमन व ममता वर्तमान में ग्राम बिंजारी में स्थायी रूप से निवास नहीं करती हैं।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलार्थी द्वारा अपील के समर्थन में नामांतकरण संख्या 285/05.12.2009, 100/– रुपये

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

के नॉन–ज्यूडिशियल नॉन–रजिस्टर्ड स्टांप पेपर जो दिनांक 19.04.2010 को खरीदा गया है और 20.04.2010 को लिखा गया है एवं राशन कार्ड की कॉपी पेश की गई है। जिनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि चंपालाल की मृत्यु दिनांक 16.05.2009 को पंजीयन कमांक 14/20.05.2009 नामांतकरण संख्या 285/05.12.2009 को पंचायत द्वारा दिनांक 05.12.2009 को चंपा के वारिसान पुत्री सुमन, पत्नी ममता देवी के नाम खोलना स्वीकार किया है, जबकि नॉन–ज्यूडिशियल पेपर पर गोदनामा दिनांक 20.04.2010 को लिखा गया है, जो कि नामांतकरण खोलने के बाद लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड की कॉपी से भी यह साबित नहीं होता है कि संजय चंपा का दत्तक पुत्र है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में ऐसे कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं जिससे यह साबित होता हो कि नामांतकरण के खोलने के समय अपीलार्थी संजय को मृतक चंपा या उसकी पत्नी ममता द्वारा गोद लिया गया था। तहसीलदार बरनाला प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट में भी ममता को मृतक चंपा की पत्नी और सुमन को मृतक चंपा की पुत्री का वारिसान होना बताया गया है। दिनांक 05.12.2009 को ग्राम पंचायत द्वारा चंपा के फौत होने का नामांतकरण तत्समय वारिसान पत्नी ममता और पुत्री सुमन के नाम नामांतकरण खोला गया है, जो सही था। इसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

23/1/2025

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 23/1/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/2025

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner